मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र 3, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 117 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 156 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 29 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र सुसनेर के ग्राम गरेली में बालिका का अपहरण होने,

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाएं होने,

(3) श्री के.डी.देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत चिंतनीय होने,

(4) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी स्थित कन्या महाविद्यालय में उर्दू प्राध्यापक के पद की स्वीकृति दी जाने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्रामों में सहरिया विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसी का घटिया निर्माण कार्य होने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा झारड़ा में महाविद्यालय की स्वीकृति देने,

(7) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में विद्युत प्रदाय बंद होने,

(8) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में तालाबों का गहरीकरण न किये जाने,

(9) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की सिरोंज क्षेत्र के ग्राम आमाढाना से कटौतिया विसेपुर सड़क का निर्माण किये जाने,

(10) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल के हुजूर तहसील के अंतर्गत ग्राम नीलबड़ से खजूरी मार्ग के किसानों को भूमि का मुआवजा दिये जाने,

(11) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की कई तहसीलों व ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के साधन उपलब्ध न होने,

(12) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नापानेरा में तालाब के जीर्णोद्धार व सिंचाई की समस्या होने,

(13) पं.रमेश दुबे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण वितरण प्रक्रिया से समितियों को आर्थिक हानि होने,

(14) डॉ.राजेन्द्र पांडे, सदस्य की रतलाम व मन्दसौर जिले की सीमा पर स्थित खोडाना तालाब खाली होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने,

(15) श्री संजय उइके, सदस्य की बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक में महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध न कराने,

(16) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र तेन्दूखेड़ा अंतर्गत जबेरा महाविद्यालय में छात्रों को घटिया स्मार्टफोन बांटे जाने,

(17) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की भोपाल के वाहन विक्रेता राजपाल कंपनी द्वारा फायनेंस के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखा किए जाने,

(18) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर के केण्ट क्षेत्र में के.वाय.एम.सी.ए के पास तक सड़क दुर्घटनाएं होने,

(19) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे एवं दुर्गम रास्तों पर सड़क निर्माण होने,

(20) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की जिला एवं तहसील नीमच में हमेरिया बांध निर्माण से प्रभावित किसानों को भूमि का मुआवजा वितरण करने,

(21) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जिला जबलपुर के मझौली स्थित शा.उ.मा.विद्यालय में संयुक्त संचालक द्वारा संवेदनहीन व्यवहार किये जाने,

(22) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में अतिक्रमण होने,

(23) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सीधी जिले की मंझोली तहसील में आदिवासी किसानों की वंटित भूमि का पट्टा आयरन कंपनी को दिये जाने,

(24) श्री सुदेश राय, सदस्य की सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(25) श्री कमल मर्सकोले, सदस्य की सिवनी जिले में पंचायतों में भर्ती प्रक्रिया बंद होने के बाद ली गई फीस वापस न किये जाने,

(26) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की नर्मदा की धारा में बहुत बड़ी मात्रा में एजोला वनस्पति के प्रकोप के कारण प्रदूषण बढ़ने,

(27) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य की सेमरिया क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपात्र लोगों को आवास आवंटन होने,

(28) कुं.सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले के बहोरीबंद स्थित महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होने तथा

(29) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित न किये जाने

संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) प्रदेश में लाखों टन गेहूं गोदामों में खराब होने विषयक

श्री तरूण भनोत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि संसद में केन्द्रीय खाद्य मंत्री महोदय ने यह रिपोर्ट दी है कि मध्यप्रदेश में बीते 2 वर्षों में 157 लाख टन अनाज गोदामों में सड़ गया, जिसमें से 53 लाख टन गेहूँ एवं 104 लाख टन चावल है. यह लोक महत्व का मुद्दा है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2010 में सभी राज्यों को यह ताकीद की थी कि अनाज सड़ने से अच्छा है कि आप उसको गरीबों में बांट दें. अगर यह 157 लाख टन अनाज, जिसका मूल्य 4,000 करोड़ रुपये होता है, मध्यप्रदेश के गरीबों को बांट दिया होता तो आज वे लोग घरों में बैठकर आराम से खाना खा रहे होते. इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है. क्या यह अनाज खरीदा भी गया था, जिसका भुगतान हुआ है ? शराब निर्माताओं के लिए षड्यंत्र करके अनाज को सड़ाया गया जिससे कि वे कम मूल्य पर खरीद सकें. इसकी जांच शासन द्वारा सी.बी.आई. के माध्यम से कराई जानी चाहिए.

(2) ग्वालियर-चंबल अंचल में ट्रांसफार्मर उतारे जाने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि अभी ग्वालियर-चंबल अंचल में गेहूं की फसल हरी है और अभी 25 दिनों तक कटने की संभावना भी नहीं है. लेकिन विद्युत विभाग द्वारा गांव में जबर्दस्ती जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनके भी ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं. मेरा उर्जा मंत्री से अनुरोध है कि सामूहिक रूप से ट्रांसफार्मर उतारे जाएंगे तो किसान का खाद, बीज, मेहनत, मजदूरी सब व्यर्थ चली जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा.

(3) मालवा में गेहूं की हम्माली बढ़ाई जाने विषयक

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि अध्यक्ष महोदय, मालवा में गेहूं की खरीदी बहुत अच्छी चल रही है. हजारों क्विंटल गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर आ रहा है. सहकारिता मंत्री से अनुरोध है कि 10 रुपए क्विंटल में बोरी भरना, छपाई करना और वेयरहाउस तक पहुंचाना, ये सब संभव नहीं है. अत: 20 से 25 रुपए हम्माली कर दी जाए, ताकि उपार्जन केन्द्रों में कार्य सही हो सके.

(4) कटनी में नोटबंदी के दौरान फर्जी लेनदेन करने विषयक

कुंवर सौरभ सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि 8 नवंबर, 2016 के बाद 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद कटनी में एक प्रकरण में हजारों करोड़ रुपए का बेनामी फर्जी खाते से लेनदेन हुआ. इसमें देश से बाहर पैसा भेजा गया. एक आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं हों उसके खाते में से 25 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं. कई बड़े लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. कटनी के एस.पी. श्री गौरव तिवारी ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई और उनको रातों रात वहां से हटा दिया गया. इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है. इस पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने हेतु आसंदी से कोई निर्देश आना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया कि कॉल अटेंशन के बाद में विनियोग विधेयक पर चर्चा है, उसमें बात कह कहने का समय मिलेगा. बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव लेने की परम्परा नहीं है.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

कुंवर सौरभ सिंह, सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह, हरदीप सिंह डंग, सदस्यगण कटनी जिले में नोटबंदी के दौरान हुए फर्जी लेनदेन पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आये एवं आसंदी की समझाइश पर वापस अपने आसन पर गए.

5. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमशः)

(5) संभागीय स्तर पर दुग्ध कलेक्शन का कार्य, दुग्ध महासंघ द्वारा करने विषयक

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ ने 13 जनवरी को एक परिपत्र जारी किया है. दुग्ध संघ और दुग्ध सोसायटियां जो संभागीय स्तर की हैं उनके रुट पर दुग्ध कलेक्शन का काम प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ करेगा. उसमें एनजीओ, एजेंसियों को आमंत्रित किया जा रहा है. इस विषय पर मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध है.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1916 एवं उसके अंतर्गत बने नियम व उपविधियों के अंतर्गत पूरे मामले में परीक्षण करवा लिया जाएगा और इसके बाद जो उचित कार्यवाही की जायेगी.

(6) प्रदेश में वाहनों में लालबत्ती लगाने की प्रथा बंद करने विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि पंजाब सरकार ने लालबत्ती कल्चर समाप्त किया है, उत्तर प्रदेश ने भी उसका अनुकरण किया है. मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री और सदन से अनुरोध है कि प्रदेश में भी लालबत्ती कल्चर समाप्त किया जाए. इससे एक नई परम्परा स्थापित होगी. वाहनों पर लालबत्ती लगाने की प्रथा को समाप्त किया जाए. मैं आज से ही लालबत्ती वापस करता हूँ.

(7) बालाघाट जिले की उकवा ग्राम पंचायत में अनियमितता रोके जाने विषयक

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि बालाघाट जिले के थाना रूज्जर अंतर्गत ग्राम उकवा के सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध थाना रूज्जर एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट के समक्ष की गई लिखित शिकायत जिसमें स्टाम्प ड्यूटी चोरी, पंचायत में गबन एवं अनियमितताओं की शिकायत पर तीन माह बीत जाने के उपरांत भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. साक्ष्य एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह मामला भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 420, 467 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है. अत: इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए.

(8) केवलारी के खेरीटोला ग्राम में लाइनमेन की दुर्घटना में मृत्यु होने विषयक

श्री रजनीश सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि कल खैरीटोला में एक लाइनमैन हेल्पर की दुर्घटना में मौत इस कारण हुई क्योंकि उसने सब स्टेशन से दो घंटे का परमिट लिया था, लेकिन स्टेशन से उसके पूर्व ही बिजली चालू कर दी गई. लाईनमैन की पर्याप्त व्यवस्था न होने कारण यह दुर्घटना घटी है. मंत्री महोदय से निवेदन है कि और इस प्रकरण की जांच करके हेल्पर के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

(9) नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत तीन जिलों के विस्थापित ग्रामों में कार्य प्रारम्भ करने विषयक

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि दमोह जिले के नौरादेही अभयारण्य का विस्तार तीन जिलों में आता है. वन विभाग के माध्यम से तीनों जिलों- नरसिंहपुर, सागर और दमोह के कलेक्टरों का पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि वहां से विस्थापित होने वाले करीब सौ गांवों में काम रोक दिया जाए. इससे ग्रामीणों में रोष है. वहां तत्काल काम शुरू करवाये जायें, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल पाये.

(10) नरसिंहगढ़ के ग्रामों में विद्युत कटौती से छात्रों को परेशानी होने विषयक

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में बिजली काट देने के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए छात्रों की परीक्षा तक उन गांवों में बिजली चालू करवाई जाए.

(11) इंदौर-अहमदाबाद हाईवे में दुर्घटनाएं होने विषयक

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मैंने इंदौर-अहमदाबाद लाईन के संबंध में ध्यानाकर्षण लगाया था. वहां पिछले 5 सालों से काम बंद पड़ा है. इस कारण लगातार दुर्घटनायें हो रही हैं. वहां कोई मार्क भी नहीं है. मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे मरम्मत करवा दें या मार्किंग करवा दें, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

(12) सिवनी नगरपालिका की नलजल योजना में भ्रष्टाचार होने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सिवनी नगर पालिका में 62.5 करोड़ रूपये से ज्यादा की नल-जल योजना चल रही है. इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है. मेरा नगरीय विभाग मंत्री से अनुरोध है कि जितने भी निर्माण कार्य वहां चल रहे हैं, उनकी जांच की जाए. जिससे आक्रोशित जनता को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो सके.

(13) हरदा जिले में नल-जल योजना की विद्युत प्रदाय बंद करने विषयक

डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि हरदा जिले में नल-जल योजना जिन गांवों में संचालित है. वहां की बिजली काट दी गई है. जबकि शासन का निर्देश है कि यदि गांव वाले बिल नहीं भरते हैं तो जिला पंचायत भरेगी. इसके बावजूद बिजली काट दी गई है. इसकी जांच कर, विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किया जाए.

(14) हनुमना विकासखंड के अंतर्गत अवैध क्रेशर संचालित होने से प्रदूषण होने विषयक

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के हनुमना विकासखंड के अंतर्गत सरदमन एवं रघुनाथगढ़ में मनमाने क्रेशर संचालित होने से समीपस्थ ग्रामवासी प्रदूषित पर्यावरण में रहने को मजबूर हैं. घोघम एवं प्रतापगंज सड़क नष्ट होने के कारण आज लोगों का रास्तों से निकलना और जीना दूभर हो गया है. हमने ध्यानाकर्षण एवं शून्यकाल की सूचना पूर्व में भी लगाई थी, कार्यवाही न होने के कारण कल रात क्रेशर मालिक एवं ग्रामीणों के बीच विवाद में मारपीट भी हुई है. अत: क्रेशर मालिकों पर कार्रवाई की जाए.

(15) गेहूं उपार्जन केन्द्रों में किसानों के ऋण खातों में भुगतान का समायोजन करने विषयक

श्री सचिन यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि खरगौन जिले में गेहूँ का उपार्जन हो रहा है. खरीदी केन्द्रों में किसानों का भुगतान उनकी सहमति के बिना उनके ऋण खातों में समायोजन किया जा रहा है. इसके कारण किसानों में आक्रोश है.

(16) देशी-विदेशी शराब की दुकानों पर केशलेस व्यवस्था करने विषयक

श्री उमंग सिंघार, सदस्य एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि आज एक प्रश्न में सरकार ने जवाब दिया है, पूरे देश में केशलेस व्यवस्था चालू है. अत: देशी-विदेशी शराब की दुकानों पर केशलेस भुगतान की व्यवस्था की जाए.

(17) सागर महापौर को हटाये जाने विषयक

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सागर महापौर को वित्तीय अनियमितताओं एवं कदाचार के आरोप के कारण सरकार ने उसके वित्तीय अधिकार वापस ले लिए थे. मगर अभी भी उसको पद से नहीं हटाया गया है. आश्रय योजना में भ्रष्टाचार हुआ है. 8 झुग्गी बस्तियों में काम होना था, लेकिन एक जगह घटिया निर्माण कार्य हुआ है. उसकी जाँच कराई जाए.

(18) सागर नगर निगम द्वारा बिना नोटिस दिए दुकानों एवं मकानों को गिराए जाने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सागर नगर निगम के द्वारा बिना नियम-प्रक्रिया का पालन करते हुए, अराजक, मनमाने एवं तानाशाहीपूर्ण तरीके से, बिना नोटिस दिए, सैकड़ों दुकानें एवं मकान गिराने की कार्यवाही की जा रही है. इस पर नियंत्रण होना चाहिए.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -

(क) (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन, क्रमांक-1,

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन, क्रमांक-2,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2016 का प्रतिवेदन, क्रमांक-5,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त वर्ष 2016 का प्रतिवेदन, क्रमांक-6, तथा

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन, क्रमांक-3, एवं

(ख) (i) मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016, तथा

(ii) मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016, एवं

(ग) (i) एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,

(ii) एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (02), दिनांक 02 जनवरी, 2016,

(iii) एफ-ए-3-53-2015-1-पांच (38), दिनांक 01 दिसम्बर, 2015,

(iv) एफ-ए-3-58-2015-1-पांच (44), दिनांक 17 दिसम्बर, 2015,तथा

(v) एफ-ए-3-60/2015-1-पांच (11), दिनांक 22 जनवरी, 2016

पटल पर रखे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

7. ध्यानाकर्षण

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि तीन साल में मेरा एक ध्यानाकर्षण 92 वें नंबर पर आया. अगर हमारे जैसे वरिष्ठ विधायकों का पूरे कार्यकाल में एक भी ध्यानाकर्षण विधानसभा में नहीं आएगा तो हमारे विधानसभा सदस्य बनने का औचित्य क्या रह जाएगा?

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि अध्यक्ष महोदय ने बहुत सदाशयता दिखाते हुए, विधानसभा की गरिमा को स्थापित करते हुए, शायद विधानसभा के इतिहास में 58 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ पहली बार ली हैं. साथ ही, पहली बार 9 पेज की कार्यसूची आपने सारे विषयों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए निकाली है. इस कारण से मैं अध्यक्ष महोदय आपको बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके उत्तर माननीय सदस्यों के लिए मिलेंगे और सदस्य चाहें तो उसके बाद उस पर कार्यवाही कर सकते हैं. विधान सभा के नियम और प्रक्रिया है. संसदीय समितियाँ हैं उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य ने उल्लेख किया कि महिला दिवस के अवसर पर मुझसे वादा किया था कि हम आपका ध्यानाकर्षण लेंगे. यह महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 58 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, के.पी. सिंह, सदस्यगण एवं अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भिण्ड जिले में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण भिण्ड जिले में रेत का अवैध उत्खनन होने पर शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

9. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर शहर में अतिरिक्त फायर स्टेशन खोले जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने विदिशा जिले के अनेक विद्यालयों में पहुंच मार्ग न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

10. बहिर्गमन

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने विदिशा जिले के अनेक विद्यालयों में पहुंच मार्ग न होने सबंधी शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की नगर परिषद विजयपुर में बी.डी.आर.एफ योजनांतर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (58) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) श्री वैलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले के श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

(6) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर के केंट क्षेत्र में पट्टे की लीज समाप्त होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर स्थित मेडिकल कालेज भवन का हस्तानांतरण न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य.

(8) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना नगर पालिका द्वारा निविदा जारी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(9) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के राजस्व अनुविभागीय कार्यालय लांजी का राजपत्र में प्रकाशन न होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री कैलाश चावला, सदस्य की नई कृषि दवा नीति के कारण कीटनाशक व्यापारियों के बेरोजगार होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री अजय सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्राम हिनौती स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(12) डॉ. मोहन यादव, सर्वश्री बाबूलाल गौर, सचिन यादव, सदस्यगण उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना चालू न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में राशि जमा होने के बाद भी सिंचाई हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले में अनुबंध के अनुसार उदवहन सिंचाई योजना का कार्य न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(15) डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री आशीष गोविंद शर्मा, श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्यगण की प्रदेश में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की आलोट क्षेत्र में शुगर मिल की रिक्त भूमि को भूमि स्वामी का अधिकार प्रदान न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री सतीश मालवीय, सदस्य की ग्राम पंचायतों को मिलने वाली पंच परमेश्वर राशि बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्यगण की सतना जिले के ग्राम मझगवां निवासी एक युवती की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की कृषक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बैजनाथ के संचालक मंडल के विरूद्ध कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

(20) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले की नलजल योजनाएं बंद होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा नलजल कनेक्शन हेतु अलग अलग नीति निर्धारित किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन में गलत नीति से कृषकों में रोष होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का वक्तव्य.

(23) श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्यगण की सतना जिले में अवैध क्रेशर मशीन चालू होने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम भौंती स्थित विद्यालय के भवन का निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच शहर की पेयजल आवर्धन योजना का कार्य अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य की दमोह जिले के हटा नगर स्थित चण्डीमंदिर के पास से बिजली की लाईन से दुर्घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(27) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की उज्जैन स्थित जिनिंग फैक्ट्री की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(28) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा दूध उत्पादकों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य.

(29) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले के हिण्डालको के विस्थापितों को रोजगार न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(30) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव को तहसील न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(31) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर कृषि उपज मंडी में कृषकों की उपज का भुगतान न होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(32) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य की खिलचीपुर एवं जीरापुर क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पंप न खोदे जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(33) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की नागदा स्थित लैक्सेस उद्योग द्वारा प्रदूषण की रोकथाम न किये जाने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(34) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की प्रदेश के आटो मोबाईल्स डीलर्स द्वारा ग्राहकों से अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

(35) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, श्री गिरीश भंडारी, सदस्यगण की सिवनी जिले के बरघाट पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(36) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की शहडोल जिले में धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में कृषकों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

(37) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में पुलिस संरक्षण में चोरी की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(38) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के हनुमना विकास खंड अंतर्गत भू-जल स्तर नीचे जाने से हैण्ड पंप संधारण में कठिनाई होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(39) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी क्षेत्र में विद्युत के अस्थायी (टी.सी.) कनेक्शन से नागरिकों को परेशानी होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(40) श्री वैलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले की राजगढ़ नगर परिषद द्वारा शासकीय भूमि पर दुकानों का अवैध निर्माण करवाए जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(41) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्यगण की मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषकों से जबरिया विद्युत बिल की वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(42) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्यगण की श्योपुर जिले में चंबल मुख्य नहर के फूटने से फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(43) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित कैंसर अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का वक्तव्य.

(44) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को फर्जी बिल दिये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(45) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले में फीडर सेपरेशन के कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(46) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन संभाग की कृषि उपज मंडियों में कृषकों की उपज का तुरन्त भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(47) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न में मिलावट होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(48) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(49) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले में अनाज का उचित भण्डारण न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(50) सर्वश्री दुर्गालाल विजय, रामनिवास रावत, सदस्यगण की श्योपुर जिले के कराहल में चोरी की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(51) श्री मुकेश नायक, सदस्य की पन्ना जिले में हीरा व्यवसाय के उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(52) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, अनिल फिरोजिया, सदस्य की राष्ट्रीय विकास योजना के तहत कृषकों को सब्जी विस्तार योजना का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का वक्तव्य.

(53) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री दुर्गालाल विजय, इन्दर सिंह परमार, सदस्यगण की प्रदेश में निजी विद्यालयों एवं बुक सेलरों की सांठ-गांठ से अभिभावकों का शोषण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(54) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य की शहडोल जिले के ग्राम पैलबाहर स्थित छात्रावास में अधीक्षिका द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(55) श्री यशपालसिंह सिसौदिया, सदस्य की प्रदेश में दुग्ध महासंघ द्वारा दुग्ध संग्रहण का कार्य एनजीओ को देने के कारण दुग्ध संघ सोसाईटी से जुडे किसानों में असंतोष होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

(56) पं. रमेश दुबे, सदस्य की होशंगाबाद रोड की गणेशनगर कालोनी का विकास कार्य न होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(57) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा एवं सतना जिले में इलाज के अभाव में बच्चों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(58) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में दूषित पेयजल से बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

12. समितियों के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिये क्रमश: ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह-पन्द्रह तथा ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने है उतने ही उम्मीदवार शेष है अत: उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया –

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री ओमकार सिंह मरकाम
2. श्री कैलाश चावला
3. श्री जगदीश देवड़ा
4. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
5. श्री बाला बच्चन
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
7. श्री मानवेन्द्र सिंह
8. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
9. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
10. श्री रमेश मैन्दौला
11. श्री सरताज सिंह

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अरूण भीमावद
2. श्री इन्दर सिंह परमार
3. श्री गिरीश गौतम
4. श्री गोवर्धन उपाध्याय
5. श्री देवेन्द्र वर्मा
6. श्री प्रदीप अग्रवाल
7. डॉं. मोहन यादव
8. श्री योगेन्द्र सिंह
9. श्री रामपाल सिंह
10. श्री विजयपाल सिंह
11. श्री सुदर्शन गुप्ता

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री चेतराम मानेकर
2. श्री जालम सिंह पटेल
3. श्री दिलीप सिंह परिहार
4. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
5. श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
6. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
7. श्री सतीश मालवीय
8. श्री सुखेन्द्र सिंह
9. श्री हर्ष यादव
10. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी
11. सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्रीमती इमरती देवी
2. श्री के.डी. देशमुख
3. श्री कुंवर सिंह टेकाम
4. श्री कुंवरजी कोठार
5. श्री घनश्याम पिरोनियां
6. श्री नानाभाऊ मोहोड़
7. श्री नारायण सिंह कुशवाह
8. श्री प्रताप सिंह
9. श्री मुरलीधर पाटीदार
10. श्री रामप्यारे कुलस्ते
11. श्री आर.डी. प्रजापति
12. श्री वैलसिंह भूरिया
13. श्री वीर सिंह पंवार
14. श्रीमती सरस्वती सिंह
15. प्रो. संजीव छोटेलाल उइके

श्री के.डी. देशमुख, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. डॉ. कैलाश जाटव
2. श्री चंदर सिंह सिसोदिया
3. श्री चंपालाल देवड़ा
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री नीलेश अवस्थी
6. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
7. श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
8. श्री राजेन्द्र मेश्राम
9. कुंवर विक्रम सिंह
10. श्री शैलेन्द्र जैन
11. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने प्राक्कलन समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां, तीसवां, इक्तीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत किया.

(4) श्री अंचल सोनकर, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का उन्नीसवां से उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(5) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सभापति ने छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या किये जाने सबंधी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि आज माननीय सभापति महोदया द्वारा छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या किये जाने संबंधी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. यह संयोग की बात है कि चारों दीर्घाओं में छात्र, छात्राएं ही बैठे हुए हैं. छात्र, छात्राओं के तनाव को रोकने के लिये ही मुख्यमंत्री जी ने यह समिति गठित की थी और इससे अपेक्षा की थी. चिटनिस जी ने समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. आज संयोग है कि सारे छात्र/ छात्राएं गैलरी में बैठे हुए हैं.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा भी इसे एक अच्छा संयोग जाना गया.

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(4) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन शहर)
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(7) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(8) श्री हरवंश सिंह राठौर (जिला-सागर)

(9) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(10) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(11) श्री नारायण त्रिपाठी (जिला-सतना)
(12) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(13) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(14) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-होशंगाबाद)
(15) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(16) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(17) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(18) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(19) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(20) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(21) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(22) श्री आर. डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(23) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(24) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(25) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(26) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(27) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(28) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(29) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(30) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(31) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(32) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(33) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(34) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(35) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(36) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(37) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(38) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(39) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(40) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(41) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(42) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(43) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(44) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(45) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(46) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(47) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(48) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(49) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(50) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(51) श्री रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(52) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(53) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(54) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(55) श्रीमती संगीता चारेल (जिला-रतलाम)
(56) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)

(57) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(58) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(59) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(60) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(61) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(62) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(63) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(64) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(65) श्री ओमकार सिंह मरकाम (जिला-डिण्डोरी)
(66) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(67) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा (जिला-देवास)
(68) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगौन)
(69) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(70) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(71) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(72) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(73) श्रीमती पारूल साहू केशरी (जिला-सागर)

15. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगदीश देवड़ा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

जिला इन्दौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोला प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. अध्यक्षीय घोषणा

(1) भोजनावकाश न होने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज की कार्य सूची में कार्यों की अधिकता और शुक्रवार को अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्यों के लिये नियत होने के कारण, आज भोजन अवकाश नहीं होगा. मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(2) शासकीय विधेयकों के पुर:स्थापन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद-7 के अंतर्गत "शासकीय विधि विषयक कार्य" के उप पद (1) एवं (9) में उल्लिखित विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कण्डिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है. आज की कार्यसूची के पद 7 के उप पद (4), (8) एवं (9) में उल्लिखित विधेयकों पर 30-30 मिनट का समय चर्चा हेतु आवंटित किया गया है.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री दुर्गालाल विजय
(4) श्री जसवंत सिंह हाड़ा

श्रीमती माया सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए

(2) श्री चेतन्य कुमार काश्यप
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री अशोक रोहाणी

श्रीमती माया सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री उमंग सिंघार
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

श्री सुंदरलाल तिवारी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री विश्वास सारंग ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री विश्वास सारंग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) कुँवर सौरभ सिंह
(3) श्री बाला बच्चन
(4) श्रीमती ऊषा चौधरी
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(6) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

18. अशासकीय संकल्प

(1) श्री के.पी.सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश में होने वाले समस्त स्थानीय निर्वाचनों को एक साथ कराया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी.सिंह
(2) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता एवं श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

19. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर चर्चा कराने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि विषयों की एकरूपता को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में आज की कार्यसूची में रेल संबंधी 6 अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर सम्मिलित किया गया है. पहले इन संकल्पों से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा इन्हें एक-एक कर प्रस्तुत किया जायेगा, तदुपरांत प्रस्तुत संकल्पों पर एक साथ माननीय मंत्री जी जवाब देंगे.

20. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

(2) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, यशपाल सिंह सिसौदिया, जितेन्द्र गेहलोत, डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि – (i) ट्रेन क्रमांक-19665, खजुराहो से उदयपुर (व्हाया झांसी-धौलपुर) तथा ट्रेन क्रमांक - 19666, उदयपुर से खजुराहो प्रतिदिन चलने वाली यात्री गाड़ियों को सप्ताह में दो दिन व्हाया भोपाल-चित्तौड़-भोपाल होकर चलाया जाए, (ii) उदयपुर राजस्थान से रतलाम होकर भोपाल तक एवं वापसी हेतु रात्रिकालीन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए , (iii) जम्मूतवी यात्री गाड़ी क्रमांक 12477/12478 एवं 12475/12476 का दो मिनिट का स्टापेज विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर किया जाए तथा (iv) गाड़ी क्रमांक 12296 दानापुर से बंगलुरू एवं गाड़ी क्रमांक 12295 बंगलुरू से दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11471 इंदौर से जबलपुर एवं गाड़ी क्रमांक 11472 जबलपुर से इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 12187 जबलपुर से मुम्बई तथा गाड़ी क्रमांक 12188 को मुम्बई से जबलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11093 मुम्बई से बनारस एवं गाड़ी क्रमांक 11094 बनारस से मुम्बई महानगरी एक्सप्रेस को गोटेगाँव रेल्वे स्टेशन पर तथा गाड़ी क्रमांक 13202 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से राजेन्द्र नगर एवं गाड़ी क्रमांक 13201 राजेन्द्र नगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जनता एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11464 जबलपुर से सोमनाथ एवं गाड़ी क्रमांक 11463 सोमनाथ से जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस का स्टापेज करकबेल रेल्वे स्टेशन पर किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सभी संकल्पों पर सहमति व्यक्त की और स्वीकृत करने का अनुरोध किया.

एकजाई संकल्प स्वीकृत हुए.

21. सत्र का समापन संबंधी प्रस्ताव
विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के लिये निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत, प्रस्ताव किया कि - "सदन की कार्यवाही का समापन किया जाये एवं तदुपरांत बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया कि - "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने हेतु कार्यवाही के औपचारिक समापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए. ".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

22. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किए गए –

मध्यप्रदेश की चौदहवीं विधान सभा का त्रयोदश सत्र अब समाप्ति की ओर है. 32 दिवसीय इस बजट सत्र में सदन की 18 बैठकें हुईं तथा भोजनावकाश स्थगित कर और अतिरिक्त समय बैठकर कामकाज निपटाया गया. इस सत्र में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए.

सदन ने जहां एक ओर वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को अपनी स्वीकृति प्रदान की वहीं वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान मांगें भी स्वीकृत की.

इस सत्र में कुल **7934** प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें **4057** तारांकित, **3877** अतारांकित प्रश्न थे. ध्यानाकर्षण की कुल **965** सूचनाएं प्राप्त हुईं. कुल **831** याचिकाएं प्राप्त हुईं. अनेक सभा समितियों के 136 प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत किए गए. **10** शासकीय विधेयक भी पारित किये गये एवं अनेक अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हुई. लगभग **5892** छात्रों व अन्य नागरिकों द्वारा कार्यवाही का अवलोकन किया गया.

संसदीय लोकतंत्र में समर्थन-विरोध, सहमति-असहमति एवं दलीय प्रतिबद्धता और निष्ठा जैसे गुण तथा तत्व समाहित होते हैं. इसके चलते मतभेद होना भी स्वाभाविक है किन्तु लोकतंत्र की यही विशेषता है कि इसमें मत-भेद तो होता है मन-भेद नहीं होता. यह बात भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि लोकतंत्र दोनों पक्षों सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बिना नहीं चल सकता और मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने और माननीय मंत्रीगणों ने इस दायित्व को निष्पक्षता और निर्भीकता से पूरा किया है.

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूं. उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था. हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी उनका सहयोग मुझे निरंतर मिलता है और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि इतने विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति मुझे उपाध्यक्ष के रूप में मिले हैं. उन्होंने बड़ी कुशलता से सदन का संचालन किया और इससे मुझे सही मायनों में बड़ा रिलीफ भी मिला. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी अभी इस सत्र में प्रथम बार नेता के रूप में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं. और यह बात भी हमारे लिए संतोष की है कि उनके प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद सदन में बहुत सार्थक चर्चाएं हुई हैं. उन्होंने भी पूरी निर्भीकता से अपने प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व का निर्वाह किया और सदन के संचालन में सहयोग भी किया है. मैं उनका भी आभार मानता हूं. मैं माननीय मंत्रीगणों, बसपा विधायक दल के नेता, सभापति तालिका के माननीय सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, सभी विधानसभा सदस्य, मीडिया के मित्रों, शासन तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं. मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भी विशेष रूप से आभारी हूं. वे दोनों ही परिस्थितियों को संभालते हैं. उत्तेजित सभा को शांत करते हैं और शांत सभा को या नीरस सभा को ठीक-ठाक व्यवस्था में लाते हैं.

मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरी सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए सदन की कार्यवाही को आमजन तक पहुंचाया. अनेक सदस्य हमारे इस विधानसभा सत्र के समय लगभग पूरे समय बैठे और निश्चय ही सदन की सजगता उनके उपस्थित रहने से बढ़ी है, मैं उनका भी विशेष रूप से आभार मानता हूं. मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, चैतीचांद, रामनवमी एवं महावीर जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. अगले सत्र में हम सब ऐसे ही सुखद माहौल में पुन: समवेत् होंगे और जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएंगे इस अपेक्षा के साथ आप सबको पुन: धन्यवाद.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

23. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

24. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 5.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 मार्च, 2017